संख्या–1197 /8–3–14–127 विविध/14

प्रेषक,

सदा कान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकरण, उ0प्र0।

4. अध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनॉकः 23 सितम्बर, 2014

विषयः अनाधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाने हेतु सैटेलाइट इमेजरी के उपयोग से अनाधिकृत निर्माणों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति–2014 के अन्तर्गत प्रौद्योगिक सहायता एवं उसके अन्तरण को प्रोत्साहित करने की रणनीति निर्धारित है। इस हेतु शहरों के नियोजन में सैटेलाईट डेटा, एरियल फोटोग्राफी एवं स्थलीय पुष्टि के माध्यम से जी.आई.एस. आधारित बेसमैप एवं अर्बन लैण्डयूज मैपिंग पद्धति को अपनाये जाने तथा महायोजना से संबंधित मानचित्र 'जी.पी.एस./जी.आई.एस. इनेबल्ड' होने की अपेक्षा है, ताकि कोर्डिनेट्स के आधार पर स्थल पर वास्तविक सीमांकन संभव हो सके। इसके अतिरिक्त शहरों के अन्दर अनाधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यो के अनुश्रवण में सैटेलाईट इमेजरी का उपयोग किये जाने की अपेक्षा है।

2– विदित है कि प्रदेश में लागू विभिन्न अधिनियमों के अधीन अनाधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण के संबंध में व्यापक प्राविधान हैं, जिनके क्रम में सार्वजनिक भूमियों/स्थानों, मार्गो, पटरियों, नालों एवं नालियों, आदि समय–समय पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, और स्थानीय स्तर पर अतिक्रमण विरोधी अभियान भी चलाये गये हैं, परन्तु इसके बावजूद नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण की समस्या अभी भी गम्भीर बनी हुई है।

3– अतएव इस संबंध में राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति–2014 में निर्धारित रणनीति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यो के अनुश्रवण में आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों द्वारा सैटेलाईट इमेजरी का उपयोग सुनिश्चित किया जाय। इस प्रक्रिया अन्तर्गत 'कट–आफ–डेट' निर्धारित कर उस तिथि की सैटेलाईट इमेजरी को आधार बनाया जाय और उसके उपरान्त एक निर्धारित अन्तराल (यथा–06 माह अथवा 01 वर्ष) के उपरान्त पुनः ली गयी सैटेलाईट इमेजरी से तुलना कर अनाधिकृत निर्माणों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अधिनियम के प्राविधानों के

अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इसके अतिरिक्त अतिक्रमण/अवैध निर्माण रोकने में शिथिलता बरतने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4— कृपया उपरोक्त आदेशों का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

16/9/14

(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव

संख्या 1497 (1)/8—3—14—127 विविध/14 तद् दिनांक

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव